परिपत्र संख्या-स0द0/25क/2023-24/261/कम्प्यूटरपरि0सं0/ 2324021 /612/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक:: 11 अगस्त, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त
अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
संयुक्त आयुक्त(वि0अनु0शा0)
सहायक आयुक्त /राज्य कर अधिकारी(सचलदल)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:: जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित प्रवर्तन माड्यूल में सचलदल इकाइयों द्वारा जमा कराई गई वास्तविक धनराशि API के माध्यम से उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक संग्रह के आंकड़ों की प्रविष्टि से सम्बंधित।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन में तैनात समस्त अधिकारियों को मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2122052 दिनांक 25.02.2022 से जारी निर्देशों के क्रम में सचलदल अधिकारियों द्वारा माह मार्च 2022 से जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित Enforcement Module से UPGST/CGST/IGST Act के अन्तर्गत धारा-129 अथवा धारा-130 की कार्यवाही की जा रही है तथा जी0एस0टी0एन0 से Application Programming Interface (API) के माध्यम से सचल दल अधिकारियों के द्वारा सृजित डिमांड की धनराशि के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं परन्तु अर्थदण्ड के मद में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि के आंकड़े API के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। API के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो MIS तैयार की जाती है उसमें मूव-09 से सृजित अर्थदण्ड की धनराशि को ही माह में प्राप्त संग्रह के रुप में प्रदर्शित किया जा रहा है जबकि भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में मूव-07 जारी करने के बाद DRC-03 से अर्थदण्ड का भुगतान कर दिया जाता है उन मामलों में DRC-03 से संग्रह के मद में जमा धनराशि MIS रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं होती है। इस प्रकार सचल दल इकाइयों द्वारा जमा कराई गई वास्तविक धनराशि API के माध्यम से उपलब्ध न होने के कारण संग्रह की सही MIS उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

उक्त सम्बन्ध में फील्ड स्तर पर सचल दल इकाइयों द्वारा धारा-129 अथवा धारा-130 के अन्तर्गत जमा कराई जाने वाली धनराशि को ARN wise फीड कराने हेतु Entry Module विकसित करा दिया गया है। जिसमें फील्ड स्तर से जारी ARN के सापेक्ष Entry करने के पश्चात कुल सृजित डिमांड के साथ-साथ वास्तविक संग्रह प्रदर्शित हो सकेगा। मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2223052 दिनांक 21.10.2022 से MS Entry माड्यूल के अन्तर्गत MS Entry Menu में चिन्हित करापवंचक ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की प्रविष्टियां अंकित करने हेतु निर्देश पूर्व में जारी किए गये हैं। उक्त के क्रम में MS Entry Menu के अन्तर्गत माह मार्च 2022 से सचल दल इकाईवार जारी किए गये ARN व सम्बंधित विवरण Dropdown में प्रदर्शित होंगे जिनके

सापेक्ष Sub Menu में सृजित डिमांड के साथ-साथ वास्तविक संग्रह की प्रविष्टियां तथा चिन्हित करापवंचक ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की प्रविष्टियां भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाए (MS Entry Menu में प्रविष्टियां अंकित करने हेतु Flow Chart संलग्न है)। उक्त फीड किए गये आंकड़ों के आधार पर ही आगामी माहों में समीक्षा बैठक की जाएगी। सचल दल इकाईवार माह मार्च 2022 से माह जुलाई 2023 तक की प्रविष्टियां 15 दिन के अन्दर अंकित कर ली जाएं तथा सतत प्रविष्टियां समयान्तर्गत सुनिश्चित की जाएं। MS Entry Menu में प्रविष्टियां अंकित करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए जिससे सही आंकड़ें MIS Report में प्रदर्शित हो सकें। उक्त कार्य में शिथिलता परिलक्षित होने पर सम्बंधित इकाई के प्रभारी अधिकारी के साथ-साथ पर्यवेक्षक अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

11/8/23

(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT

UTTAR PRADESH

ARN Wise Payment Details

2023 | Select Month: | May

Search Details

AD0905230516019

UP23AT2481 | ARN Date: | 20/05/2023

09AFMPA6245C1ZO | Legal Name: | OM PRAKASH AGARWAL

ne: | ---Select--- | Goods Released in favour of: | ◯Owner of the Goods ◯Other Than the owner of the goods

lty Payable:-

Integerated Tax	Central Tax	State Tax	Cess

gn: ◉DRC-03 ◯DRC-07

Save Details | Verify Details